रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या–OA(IIu)/PNBE/424/2019

पीठासीनः **श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक), रे0दा0अ0/भुवनेश्वर, सर्किट बेंच पटना।**

संस्थन की तिथिः 07.11.2019
निर्णय की तिथिः 25.10.2024

जय प्रकाश सिंह व अन्य,
सभी निवासी ग्राम– महुआईन,
पोस्ट–मालपा, थाना– गुरारू,
जिला– गया,
बिहार, 824118

.... याची

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

....उत्तरदाता

दावा राशिः ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याची की ओर से–श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता–उपस्थित।
उत्तरदाता की ओर से–श्री अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता–उपस्थित।

निर्णय

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण जय प्रकाश सिंह व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत ममता देवी की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतका ममता देवी अपने भाई अशोक सिंह के साथ दिनांक 28.05.2019 को द्वितीय श्रेणी यात्रा टिकट सं0 URD-03518225 के साथ ट्रेन सं0 63554, वाराणसी–आसनसोल पैसेन्जर से रफीगंज से गया जं0 जा रही थी। उक्त ट्रेन जब गुरारू स्टेशन के निकट से गुजर रही तब यात्रियों की अत्यधिक भीड़, धक्का–मुक्की एवं ट्रेन से झटका लगने के कारण वह अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। यात्रा टिकट की मूलप्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि आवेदक गलत मुआवजा लेने के लिए झूठा एवं मनगढंत मामला दर्ज कराया है। दावा आवेदन के पैरा–6 में दिया गया कथन अस्वीकार्य है। मृतका की मृत्यु ट्रैक पार करते समय कथित ट्रेन से कटकर हुई है। आवेदक ने अशोक सिंह का टिकट संलग्न नहीं किया है। जो कथित रूप से मृतका का सहयात्री था। आवेदक किसी मुआवजे का अधिकारी नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 25.06.2021 को विरचित किये गये।

(1) क्या मृतका ट्रेन संख्या 63554 की एक सद्भावी यात्री थी?

(2) क्या मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (C) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदक/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण द्वारा जय प्रकश सिंह को अपने अभिकथन के समर्थन में ए.डब्ल्यू–01 तथा अशोक कुमार सिंह को ए.डब्ल्यू–02 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से मेमो, यात्रा टिकट, जय प्रकश सिंह का आवेदन, एफ.आई.आर, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेड बॉडी चालान, शव प्राप्ति रसीद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंतिम प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बरोरह प्रखण्ड गुरारू, गया द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के मूल की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या मय दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा बहस की गयी।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 व 02

10. उक्त दोनों वाद बिन्दु एक–दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन वाद बिन्दुओं के अन्तर्गत इन तथ्यों का विनिश्चय किया जाना है कि क्या मृतका ट्रेन संख्या 63554 की एक सद्भावी यात्री थी एवं क्या मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (C) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 के अनुसार:–

धारा 123 (c):

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का घटनास्वरूप गिर पड़ना।

12. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2(29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

इस परिभाषा का तात्पर्य यह भी है कि जो व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है उसे यात्री नहीं माना जा सकता है।

13. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124–ए में अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 124A– अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर– जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो, जो उस यात्रा को जो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के जिसकी मृत्यु हो गयी है, आश्रित को उसके बारे में अनुपोषण करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की हुयी मृत्यु या उसको हुयी क्षति द्वारा पहुँची हानि के

लिए उस सीमा तक जो विहित की जाय और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा, यदि यात्री की निम्नलिखित के कारण मृत्यु होती है या उसको क्षति होता है, अर्थात–

(क) उसके द्वारा आत्महत्या या किया गया आत्महत्या का प्रयत्न;

(ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचायी गयी क्षति;

(ग) उसका अपना आपराधिक कार्य;

(घ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई कार्य;

(ङ) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुयी क्षति के लिए आवश्यक नहीं हो जाता है।

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि मृतका ममता देवी अपने भाई अशोक सिंह के साथ दिनांक 28.05.2019 को द्वितीय श्रेणी यात्रा टिकट सं0 URD-03518225 के साथ ट्रेन सं0 63554, वाराणसी–आसनसोल पैसेन्जर से रफीगंज से गया जं0 जा रही थी। उक्त ट्रेन जब गुरारू स्टेशन के निकट से गुजर रही तब यात्रियों की अत्यधिक भीड़, धक्का–मुक्की एवं ट्रेन से झटका लगने के कारण वह अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। यात्रा टिकट की मूलप्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

15. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि मृतका न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री थी और न ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुयी। याची द्वारा प्रस्तुत किया गया यात्रा टिकट गलत एवं भ्रामक है।

16. याचीगण के द्वारा जो टिकट प्रस्तुत किया गया है उसका सत्यापन कराकर उसे गलत साबित करने का भार उत्तरदाता पर था। उत्तरदाता द्वारा टिकट का सत्यापन कराया गया तो मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक द्वारा बताया गया है कि UTS टिकट सं0 URD-03518225 रफीगंज से गया के लिए दिनांक 28.05.2019 को बुकिंग कार्यालय से जारी किया गया है।

इससे साबित होता है कि मृतका यात्रा करने के लिए यात्रा टिकट खरीदी हुयी थी।

17. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

"...mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। याचीगण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष यात्रा टिकट की मूलप्रति प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ अब जिम्मेदारी उत्तरदाता पक्ष की थी कि वह इस टिकट की वैधता का खण्डन करे। उत्तरदाता इस टिकट को अवैध साबित करने में असमर्थ रहा है।

18. याचीगण ने याचिका में अभिकथन किया है कि उक्त ट्रेन जब गुरारू स्टेशन के निकट से गुजर रही तब यात्रियों की अत्यधिक भीड़, धक्का–मुक्की एवं ट्रेन से झटका लगने के कारण वह अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

19. स्टेशन मास्टर, पू0 म0 रेल, गया द्वारा GRP/Sr. DMO Gaya को जारी मेमों के अनुसार–

" श्री एस0 के0 सिंह, स्टेशन मैनेजर, गुरारू के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 30 वर्ष का dead body KM-491/13 DN-M/L गुरारू स्टेशन लिमिट के बीच गुरारू प्लेटफॉर्म के नजदीक ट्रैक के पार पड़ा हुआ है। अतः उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। "

20. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कॉलम सं0 9 में मृत्यु का कारण–

" गाड़ी सं0 63554 डाउन वाराणसी–आसनसोल पैसेंजर से गिरने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है। "

21. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार–

<u>Opinion-</u> 1. Injuries are antemortem caused by hard & blunt forces also consistent with as suggested with police inquest &. rail traffic injuries.

2. Death is due to injuries including on head & neck.

3. <u>T&D-</u> 18 to 36 hours (approx) since PM examination.

22. पुलिस फाइनल रिपोर्ट के अनुसार–

" मृतका की मृत्यु गाड़ी सं0 63554 वाराणसी आसनसोल पैसे0 ट्रेन से यात्रा के क्रम में गिरकर जख्मी होने के मृत्यु होना सत्य पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन संख्या 39/19 दिनांक 02.06.2019 को समर्पित करता हूँ। "

23. वैधानिक विवेचना आख्या के निष्कर्ष के अनुसार–

1. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है।
2. कार्यरत गार्ड द्वारा घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी है।
3. रा0रे0पु0/गया के रिपोर्ट में दर्शाये गये गवाह मृतका के परिचदार है।

वैधानिक विवेचना आख्या में स्पष्ट उल्लेख है कि मृतक के पास वैध रेल यात्रा टिकट था। तथापि यह निष्कर्ष निकालना कि मृतक रेल यात्रा नहीं कर रहा था तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है।

24. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त वाद बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतका उक्त ट्रेन की सद्भावी यात्री थी एवं उसकी मृत्यु रेल यात्रा के दौरान प्रश्नगत रेलगाड़ी से अनपेक्षित दुर्घटना के कारण गिर जाने से आयी चोटों से हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124A रेल अधिनियम 1989 के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याची के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

25. विचारणीय है कि मृतका के आश्रित कौन है? ए.डब्ल्यू–1 जय प्रकाश सिंह के शपथ पत्र के अनुसार, जय प्रकाश सिंह (मृतका का पति), शुभम कुमार (मृतका का पुत्र), राजवीर कुमार (मृतका का पुत्र) एवं माया कुमारी (मृतका की अवयस्क पुत्री) ही मृतका के आश्रित और प्रतिकर पाने के अधिकारी है। याचीगण द्वारा ग्राम पंचायत बरोरह प्रखण्ड गुरारू, गया द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याची का कथन हमारे मत में पूर्णतः सिद्ध है।

26. अतः हमारे मत में याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतका के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है अतः यह वाद बिन्दु भी तद्नुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

27. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

28. आवेदकगण का आवेदन पत्र मुबलिग ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतका से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	जय प्रकाश सिंह	पति	41	₹5,00,000	₹60,000	₹4,40,000
2.	शुभम कुमार	पुत्र	21	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
3.	राजवीर कुमार	पुत्र	20	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
4.	माया कुमारी	पुत्री	14	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*

29. नोट–* माया कुमारी (मृतका की अवयस्क पुत्री) के हिस्से की पूरी राशि उनके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

30. माया कुमारी (मृतका की अवयस्क पुत्री) का अंश उनके पिता जय प्रकाश सिंह के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनके पिता जय प्रकाश सिंह अपने अवयस्क पुत्री के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त

करने के हकदार होंगे। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

31.(a) प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याची द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक

उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याची के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक प्रत्येक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याची विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक याची को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

32. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याची को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण भुवनेश्वर
सर्किट बेंच पटना
दिनांक 25.10.2024

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण भुवनेश्वर
सर्किट बेंच पटना
दिनांक 25.10.2024